निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1944 (श0)

(सं0 पटना 1083) पटना, बृहस्पतिवार, 15 दिसम्बर 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
15 दिसम्बर 2022

सं० वि०स०वि०-23/2022-***3996***/वि०स०।—"बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022", जो बिहार विधान सभा में दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2022

[वि०स०वि०-19/2022]

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत–गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–435 का संशोधन।–**

(i) उक्त अधिनियम की धारा 435 के उपधारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(3) नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने हेतु पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस निर्गत करेगा। पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध के संबंध में नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को कारण सहित संतुष्ट करने में विफल रहने पर नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण/अवरोध हटाने का आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाया जा सकेगा और संबंधित अतिक्रमणकर्त्ता को जुर्माना से दंडित कर सकेगा अथवा ऐसे अतिक्रमण को हटाने में होनेवाले व्यय की वसूली अतिक्रमणकर्त्ता से किया जा सकेगा। दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होने की स्थिति में ऐसे अतिक्रमणकर्त्ता से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जायेगी।

परन्तु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को चौबीस घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी।''

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सिवरेज एवं पार्क पर स्थायी या अस्थायी संरचना द्वारा अतिक्रमण एवं अवरोध पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 435 की उपधारा (3) को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(तेजस्वी प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक-15 दिसम्बर, 2022

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1083-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in